राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन सं. 133/2013/डूंगरपुर

मैसर्स सनलैण्ड मेटल रिसाईकलिंग इण्ड.,
कराजगाम, सिलवासा (महाराष्ट्र)। .....अपीलार्थीगण

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल गालवीय, सदस्य

उपस्थित :

अनुपस्थित। .....अपीलार्थीगण की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक। .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 15.10.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 17.10.2006 को वाहन संख्या आरजे–27जीए/2023 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों की जॉच पर दस्तावेजों में अंकित माल ब्रास इनगट्स के स्थान पर ब्रास स्क्रेप पाया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों एवं मिथ्या घोषणा के आधार पर करापवंचन की नियत से परिवहनित किये जा रहे माल पर शास्ति राशि रूपये 9,52,182/– का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 15.10.2013 पारित करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की। उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न था। अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

6. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में ब्रास स्क्रेप पाया गया, जबकि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में ब्रास इनगट अंकित था। इस प्रकार

लगातार.....2

परिवहनित माल घोषित माल से भिन्न होने से यह अधिनियम की धारा 76(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः मिथ्या घोषणा से माल के परिवहन के अपराध में शास्ति का आरोपण विधिक है।

8. परिणामतः कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2013 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से वेट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय सुनाया गया।

3/10/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य